

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 673 / 2010 / चित्तौड़गढ़

मैसर्स राहूल मार्बल्स,  
चित्तौड़गढ़।

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, चित्तौड़गढ़।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री वी.सी.सोगानी,

अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,

उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.10.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी—व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (राज.) (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 96/आएसटी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’) कहा जायेगा, द्वारा राजस्थान बिकी कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 28 एवं 37 के तहत कमशः दिनांक 18.01.2008 एवं दिनांक 12.08.2008 को पारित कर वर्ष 2001–02, में आरोपित कर 12578/-, ब्याज रूपये 8631/- एवं शास्ति रूपये 25156/- कुल रूपये 46365/- सृजित की गई उक्त विवादित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने पर उनके द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2001 को अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें माल रूपये 91,153/- की कमी मानकर धारा 65 में शास्ति आरोपित की गई, जिसके विरुद्ध अपील की गई, तत्कालीन उपायुक्त (अपील्स), भीलवाडा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.12.2005 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया, जिसके कम में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण को पुनः दिनांक 18.01.2008 को पारित करते हुए उपरोक्तानुसार मांग सृजित की गई। उक्त पारित निर्धारण आदेश के

विरुद्ध प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र भी दिनांक 12.08.2008 को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय आदेश दिनांक 22.01.2010 के द्वारा अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उनके व्यवसाय स्थल का दिनांक 02.08.2001 को सर्वेक्षण किया गया था एवं व्यापारी स्थल पर किये जाने वाले कारोबार यथा मार्बल स्लेब, टाइल्स इत्यादि से संबंधित स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान हिसाबी पुस्तके मौजूद नहीं थी परन्तु अगले दिन ही प्रस्तुत कर दी गई थी। भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गये तथ्यों के सम्बन्ध में उन्होंने समय—समय पर जवाब प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी ने 91,153/- रुपये का मार्बल स्टॉक में कम मानते हुए कथित अघोषित बिकी मानकर करापवंचन मानकर मांग सृजित की गई जो कि सर्वथा अनुचित है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उनके द्वारा लगातार प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी को समय—समय पर अपने प्रस्तुत जवाब में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था तदनुरूप रुपये 3,09,792/- का स्टॉक दिनांक 31.07.2001 को प्रार्थी के बहियात में अंकित था। जिसका वर्गीकरण रुपये 2,18,639/- स्लेब एवं टाइल्स, 91,153/- रुपये ब्लॉक के रूप में था। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.09.2001 को ही दिनांक 31.07.2001 तक का व्यापार खाता बनाकर प्रस्तुत कर दिया था। यही नहीं उक्त स्टॉक जिसमें 91,153/- रुपये का मार्बल ब्लॉक दिनांक 01.04.2001 से प्रारम्भिक स्टॉक के रूप में विद्यमान था एवं इस दौरान कोई चिराई नहीं होने से सर्वेक्षण के दौरान भी वह स्टॉक में ही था। उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त स्टॉक को स्वतः ही स्लेब एवं टाइल्स बनायी जाकर अघोषित बिकी मानकर करारोपण करना अविधिक एवं अनुचित है। यह जबकि उनके नियमित बहियात में उक्त माल का अंकन है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी वास्तविक स्थिति को मध्यनजर नहीं रखते हुए प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बिना तथ्यों के सत्यापन के ही खारिज करते हुए

लगातार.....3

यथावत रखा गया। व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त कथित अपवंचित बिकी पर आरोपित शास्ति रूपये 25,150/- एवं ब्याज रूपये 8631/- को भी अविधिक एवं अनुचित इस आधार पर ठहराया कि चूंकि जब कथित अपवंचित बिकी का ही अस्तित्व नहीं है तो शास्ति एवं ब्याज का आरोपण भी अविधिक है।


5. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये गये आदेश का समर्थन किया गया। उन्होंने अभिकथन किया कि प्रार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण उसकी स्वयं की उपस्थिति में किया गया था एवं उनके द्वारा जो भी स्टॉक की गणना/माप करवाया जाना था वह करवा दिया गया था, अगर कहीं और अन्य माल रखा हुआ था तो वक्त सर्वेक्षण ही उसको अवगत करवाया जाना चाहिये था। मार्बल ब्लॉक्स के स्टॉक का विचार प्रत्यर्थी का बाद का विचार है जिसको अमान्य करते हुए प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने का निवेदन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 02.08.2001 (सर्वेक्षण के समय तक) का व्यापार खाता प्रस्तुत कर दिया गया था। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित है तदनुरूप प्रस्तुत दिनांक 31.07.2001 तक के व्यापार खाते में रूपये 91,153/- के ब्लॉक्स का अंतिम स्टॉक अंकित है, जो वर्ष समाप्ति अर्थात दिनांक 31.03.2001 के व्यापार खाते में भी रूपये 91,153/- का स्टॉक अंकित है। प्रत्यर्थी द्वारा वक्त सर्वेक्षण प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान ही उनके द्वारा इस तथ्य का स्पष्टीकरण कर दिया गया था कि उनके यहां पर मार्बल ब्लॉक का स्टॉक प्रारम्भिक खाते में है एवं भौतिक सत्यापन सही नहीं है। चूंकि तत्समय के लेखा वर्ष में चिराई नहीं हुई है, तो इस तथ्य को सत्यापित किया जाना आवश्यक था, केवल अनुमान के आधार पर ही मार्बल ब्लॉक की चिराई एवं तत्पश्चात अघोषित बिकी मान लेना विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। करापवंचित बिकी के तथ्य को सुस्थापित करने

की जिम्मेदारी कर निर्धारण अधिकारी पर होती है, जो कि उनके द्वारा सम्पूरित नहीं की गई है, केवल मात्र समस्त माल की गणना करवायी जाने संबंधित बयान अंकित किये जाने से ही करापवंचित बिक्री सत्यापित नहीं होती है। वह भी जब अपीलार्थी व्यवहारी के बहियात में उक्त मार्बल ब्लॉक का स्टॉक दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करके निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी के व्यापार खाते जिसमें उन्होंने रूपये 3,09,792/- का स्टॉक माना है और उसमें से रूपये 2,18,639/- का माल भौतिक सत्यापन पर माना है तो रूपये 3,09,792/- का स्टॉक सर्वेक्षण तिथि को गणना में किस आधार पर लिया है इस तथ्य का परीक्षण करे, इसके सत्यापन पर यह भी देखे की अपीलार्थी व्यवहारी जो कि माल की चिराई करवाता है। इसके खर्चे तथा उत्पाद कर भी जमा करवाता है के संबंध में भी जांच कर ये सुनिश्चित करे की क्या व्यवहारी द्वारा इस दौर में मार्बल की चिराई करवाई गई है, यदि उक्त मार्बल ब्लॉक की चिराई करवाई जाना सुनिश्चित हो जाती है तो भौतिक सत्यापन पर कम पाये गये माल की स्थिति सुस्थापित होती है, तभी उच्चन्त बिक्री का मामला बनता है। फिलहाल उपरोक्त विवेचनानुसार निर्धारण आदेश एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि सम्बन्धी आदेश दिनांक 20.01.2010 अपास्त कर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. निर्णय प्रसारित किया गया ।

  
 14.10.2015  
 ( मदन लाल )  
 सदस्य